207347 Date: 2/7/25

संख्या– 1582 / VII-A-1 / 2025 / 08(18) / 2020

प्रेषक,

**हनुमान प्रसाद तिवारी**
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Shri Nitesh AMS
02/7/25

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1** **देहरादून, दिनांक 01 जुलाई 2025**

**विषयः उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत लघु / गौण खनिजों (आर0बी0एम0 को छोड़कर) की स्टार रेटिंग प्रणाली लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1648 / मु0ख0 / 241 / स्टा0 रे0 / खनन / भू0खनि0निदे0 / 2025–26, दिनांक 21.06.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये लघु / गौण खनिज खदानों (आर0बी0एम0 को छोड़कर) की स्टार रेटिंग सम्बन्धी स्व–मूल्यांकन प्रपत्र को अनुमोदित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त स्व–मूल्यांकन प्रपत्र के आधार पर उक्त पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुरूप स्टार रेटिंग प्रणाली लागू किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

**(हनुमान प्रसाद तिवारी)**
उप सचिव

**राज्य अन्तर्गत लघु/गौण खनिज खदानों (आर0बी0एम0 को छोड़कर) के पट्टाधारकों को स्व–मूल्यांकन प्रपत्र को भरे जाने हेतु सामान्य निर्देशः–**

(क) वे सभी खदानें जो एक वित्तीय वर्ष में 180 दिन या उससे अधिक समय तक काम कर चुकी हैं, स्व–मूल्यांकन प्रपत्र भरने के लिए पात्र हैं।

(ख) प्रपत्र जमा करने के दिन खदान निलंबित नहीं होनी चाहिए।

(ग) सभी खदानों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष (01 अप्रैल – 31 मार्च) की समाप्ति के उपरान्त प्रत्येक दशा में आगामी 31 मई तक विधिवत हस्ताक्षरित स्व–मूल्यांकन प्रपत्र भरकर भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में जमा कराया जाना होगा। एक बार जमा करने के बाद, पट्टाधारक द्वारा प्रपत्र को संपादित (Edit) नहीं किया जा सकता है।

(घ) जिन खदानों ने स्वयं मूल्यांकन किया है, उन्हें राज्य सरकार की इच्छानुसार और निर्देशित रूप से तृतीय पक्ष द्वारा यादृच्छिक (randomly) रूप से मान्य किया जाएगा।

(ड.) जिन खदानों ने स्वयं 4 या 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की है, उनके पास वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए वैध और अनुमोदित दस्तावेज़ होना चाहिए, अन्यथा खदानों का वित्तीय वर्ष में 4 स्टार से कम श्रेणी में मूल्यांकन किया जाएगा।

(च) सभी 5 स्टार रेटेड खदानों की सूची तैयार की जाएगी और हर साल 30 नवंबर से पहले भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी।

2. खदानों के लिए निर्देश

(क) स्व–मूल्यांकन प्रपत्र को मालिक/नामांकित मालिक द्वारा अंग्रेजी या हिंदी भाषा में या टेम्पलेट में दिए गए निर्देशों के अनुसार भरा जाना होगा।

(ख) पट्टाधारक को स्व–मूल्यांकन प्रपत्र दाखिल करने से पहले अपनी पात्रता मापदंड की जांच करनी होगी।

(ग) पट्टाधारक को स्व–मूल्यांकन प्रपत्र दाखिल करने से पहले उन सभी मॉड्यूल को पढ़ना और जांचना चाहिए जो उसके लिए लागू होंगे।

(घ) मालिक/नामांकित मालिक को दस्तावेजों के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना होगा।

(ड.) पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत सभी सहायक दस्तावेजों की प्रतियां स्व–सत्यापित होनी चाहिए।

(च) यदि पट्टाधारक ''लागू नहीं'' विकल्प चुनता है, तो उसे इसके लिए औचित्य प्रस्तुत किया जाना होगा।

# लघु/गौण खनिज खदानों (आर0बी0एम0 को छोड़कर) की स्टार रेंटिंग के लिये स्व–मूल्याकंन प्रपत्र

वित्तीय वर्ष **(FY)**

## भाग–1 सामान्य जानकारी

| क्र0सं0 | विवरण | विवरण | |
|---|---|---|---|
| पट्टाधारक का विवरण | | | |
| 1 | राज्य सरकार द्वारा आवंटित विशिष्ट आई0डी0 | | |
| 2 | पट्टे की सीमा निर्देशांक (Coordinates)<br>(अंक्षाश एंव देशान्तर) | अंक्षाश | देशान्तर |
| 3 | खसरा/खाता नम्बर | | |
| 4 | तहसील | | |
| 5 | ग्राम | | |
| 6 | जनपद | | |
| 7 | राज्य | | |
| 8 | कुल पट्टे का क्षेत्रफल (है0)<br>i- वन भूमि (है0)<br>ii- निजी भूमि (है0)<br>iii- राजस्व भूमि (है0)<br>iv- चारागाह भूमि (है0)<br>v- कोई अन्य यदि है (है0) | | |
| 9 | खनिज | | |
| 10 | पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध कुल संशाधन (खनिज वार) (टन में) | | |
| 11 | पट्टे की अवधि (........ से...........तक) | | |
| 12 | नाम (कंपनी या साझेदारी फर्म के मामले में, कंपनी/साझेदारी का नाम और प्रबंध निदेशक या प्रबंध सोझेदार का नाम, मालिकाना फर्म के मामले में स्वामी का नाम) | | |
| 13 | पट्टेधारक का प्रकार<br>(व्यक्ति/कंपनी साझेदारी फर्म/अन्य) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | पता | | |
| 15 | मोबाईल नं0 | | |
| 16 | ई–मेल आई0डी0 | | |
| कार्य विवरण | | | |
| 17 | खनन की विधि (खुली खदान / भूमिगत / खुली खदान एंव भूमिगत / खदान) | | |
| 18 | प्रपत्र भरे जाने की तिथि को पट्टे की स्थिति (कार्यरत, अस्थायी रुप से बंद / गैर–कार्यरत / निलंबित) | | |
| 19 | वित्तीय वर्ष के दौरान कार्य दिवसों कर संख्या | | |
| 20 | वित्तीय वर्ष के दौरान अस्थायी बंदी के दिनों की संख्या | | |
| 21 | वित्तीय वर्ष के दौरान निलंबन के दिनों की संख्या | | |
| 22 | स्टार रेटिंग प्रपत्र दाखिल करने के लिए जिम्मेदार ऐजेन्ट / मैनेजर / पट्टाधारक का नाम और संपर्क विवरण (इस प्रयोजन के लिए मालिक खुद को एजेंट मैनेजर के रुप में नामित कर सकता है) | | |
| राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना | | | |
| 23 | राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित योजना दस्तावेज (खनन योजना / स्कीम ऑफ माइनिंग) का विवरण | वैधता (दिन / माह / वर्ष तक) और स्वीकृत मात्रा | |
| 24 | प्राप्त पर्यावरणीय अनुमति का विवरण | वैधता (दिन / माह / वर्ष तक) और स्वीकृत मात्रा | |
| 25 | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त अनुमोदन का विवरण | वैधता (दिन / माह / वर्ष तक) और स्वीकृत मात्रा | |
| 26 | प्राप्त वन मंजूरी का विवरण यदि लागू हो, | | |
| रिपोटिंग वर्ष के दौरान देय रॉयल्टी व अन्य देयकों का विवरण | | | |
| 27 | रायल्टी का भुगतान | देय राशि | जमा की गयी राशि |
| 28 | डैड रेंट का भुगतान | | |
| 29 | डी0एम0एफ में योगदान, यदि लागू हो | | |
| 30 | राज्य अन्वेषण ट्रस्ट में योगदान, यदि लागू हो | | |

भाग 2 संधारणीय खनन **(SUSTAINABLE MINING)**

**(कुल अंक 100)**

| विवरण | विवरण पट्टाधारक द्वारा भरा जायेगा | | रेटिंग | अधिकतम अंक | अर्जित अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| **MODULE-I**<br>व्यवस्थित एवं संधारणीय **(SUSTAINABLE)** खनन **(अधिकतम अंक 25)** | | | | | |
| वित्तीय वर्ष के दौरान खनिजवार कुल उत्पादन | कुल स्वीकृत मात्रा टन में | वास्तविक उत्पादन टन में | • >=50% to 100% (7 points) "<br>• Between 30% & 50% (5 points)<br>• <=30% and >100% (0 | 7 | |
| अपशिष्ट प्रबन्धन (Dump Managenent) ऊपरी मिट्टी को छोड़कर | स्वीकृत खनन योजना के अनुसार | | Yes(5 points)<br>No (0 points)<br>NA | 5 | |
| सुरक्षित और स्थिर बेंचेज का निर्माण | स्वीकृत खनन योजना के अनुसार | | Yes (S points) No (0 points) | 5 | |
| धूल दमन के उपाय | ढ़के हुए वाहनों में खनिज का परिवहन | | Yes (4 points) No (0 points) | 8<br>जहां ड्रिलिंग नहीं होती वहां अधिकतम 6 अंक होंगे। | |
| | पानी का छिड़काव | | Yes (4 points) No (0 points) | | |
| मॉड्यूल **-II**<br>पर्यावरण एवं जल संरक्षण **(अधिकतम अंक 25)** | | | | | |
| ऊपरी मिट्टी (Top Soil) को संरक्षण एवं उसका उपयोग | स्वीकृत खनन योजना के अनुसार | | Yes (4 points)<br>No (0 points) NA | 4 | |
| पर्यावरण प्रबन्धन योजना (Environmental Management plan) की शर्तों की अनुपालना करना तथा अनुपालन आख्या SEIAA को प्रेषित किया जाना। | पर्यावरण प्रबन्धन योजना (Environmental Management plan) के अनुसार। | | Yes (3 points)<br>No (0 points) NA | 3 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| पर्यावरणीय मापदंडों का अनुपालन (वायु, जल आदि) | प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुसार | Yes (2 points) No (0 points) | 2 | |
| पुर्नवास एवं प्रगतिशील खदान बंद किया जाना (Rehabilitation and progressive mine closure) | स्वीकृत खनन योजना के अनुसार | • 100% (4 points)<br>• >50 <100% (2 points)<br>• <=50% (0 point)<br>• NA | 4 | |
| यदि वृक्षारोपण का कार्य वन विभाग की सहायता के किया गया है तो उपयोग की गयी भूमि का विवरण तथा वृक्षारोपण से सम्बन्धित अभिलेख। | उपयोग की गयी भूमि का विवरणः–<br>i- वन भूमि (है0)<br>ii- निजी भूमि (है0)<br>iii- राजस्व भूमि (है0)<br>iv- चारागाह भूमि (है0)<br>कोई अन्य यदि है (है0) | Yes (4 points)<br>No (0 points)<br>NA | 4 | |
| वित्तीय वर्ष के दौरान अनुमोदित अभिलेखों के अनुसार किया गया कुल वृक्षारोपण | अनुमोदित मात्रा (संख्या में)<br>लगाये गये वृक्षों की संख्या | • 80-100% (4 points)<br>• >S0<80% (2 points<br>• >=50% (0points)<br>• NA | 4 | |
| वृक्षारोपण के एक वर्ष के अन्तर्गत पौधों के जीवित रहने की दर | पेड़/पौधों की संख्या<br>एक वर्ष के अन्तर्गत जीवित पेड़/पौधों की संख्या | • 70-100% (4 points)<br>• >50 <70% (2 points)<br>• <=50% (0 point)<br>• NA | 4 | |
| **मॉड्यूल-III**<br>श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण (अधिकतम अंक 20) | | | | |
| खदान में स्थानीय निवासियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना, प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के कार्यक्रम आयोजित किया जाना तथा कार्य स्थल पर | विवरण उपलब्ध कराया जाना है। | Yes (3 points)<br>No (0 points)<br>NA | 3 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| लैंगिग विविधता (gender diversity) को बढ़ावा देना। | | | | | |
| कुल कर्मचारियों/श्रमिकों का प्रतिशत जिन्हे DGM द्वारा अनुमोदित कार्मिक सुरक्षा उपकरण (PPE) अर्थात हेलमेट, जूते, दस्ताने और धूल मास्क आदि प्रदान किये गये हैं। | कुल कर्मचारियों /श्रमिकों की संख्या | कुल कर्मचारियों/ श्रमिकों का प्रतिशत जिन्हे PPE प्रदान किया गया है। | • 100% (3 points)<br>• >50 <100% (2 points)<br>• <=50% (0 point) | 3 | |
| कुल कर्मचारियों/श्रमिकों का प्रतिशत जिनकी खनिज नियम 1995 के अनुसार आवधिक चिकित्सा परीक्षा (Periodical Medical Examination) की गयी है। | कुल कर्मचारियों /श्रमिकों की संख्या | कुल कर्मचारियों/ श्रमिकों का प्रतिशत जिनका नियमों के अनुसार PME किया गया है। | • 100% (4 points)<br>• >50 <100% (2 points)<br>• <=50% (0 point) | 4 | |
| सभी श्रमिकों को पीने के पानी और स्वच्छता सुविधाओं का प्राविधान | विवरण उपलब्ध कराया जाना है। | | Yes (3 points) No (0 points) | 3 | |
| महिला कर्मचारियों को बुनियादी सुचिधाओं का प्रावधान जैसे शौचालय, विश्रामग्रह आदि। | विवरण उपलब्ध कराया जाना है। | | Yes (2 points) No (0 points) NA | 2 | |
| वित्तीय वर्ष के दौरान खदान श्रमिकों में पाये गये सिलिकोसिस या अन्य रोगों का विवरण | विवरण का संकलन व रख रखाव किया जाना है तथा उपलब्ध कराया जाना है। | | Yes (0 points) No (2 points) | 2 | |
| सी0एस0आर0 के रूप में खदान श्रमिकों/निकट क्षेत्रों में पट्टाधारक द्वारा किये गये कल्याणकारी कार्यों एवं प्राप्त शिकायतों का निवारण किया जाना। | विवरण उपलब्ध कराया जाना है। | | Yes (3 points) No (0 points) | 3 | |
| **मॉड्यूल -IV**<br>**वैधानिक (STATUTORY) अनुपालन** | | | | (अधिकतम अंक 30) | |
| समस्त सरकारी विभागों से आवश्यक अनापत्ति /प्रमाण पत्र/अनुमति | विवरण उपलब्ध कराया जाना है। | | Yes (10 points) No (0 points) | 10 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| प्राप्त की गयी है अथवा नहीं | | | | |
| सभी सरकारी एजेंसी जैसे खान सुरक्षा निदेशालय, राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि द्वारा बताये गये सभी उल्लंघनों का सुधार | विवरण उपलब्ध कराया जाना है। | Yes (8 points) No (0 points) | 8 | |
| नियमानुसार सक्षम कर्मचारियों जैसे– खान प्रबंधक, पर्यवेक्षक आदि की नियुक्ति तथा संचालन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि। | नाम/पदनाम का उल्लेख | All Yes (5 points) Nil (0 points) (one Point for each category) | 5 | |
| सीमांकित पिलरों के कॉर्डिनेटस सहित खनन पट्टाक्षेत्र का मानचित्र | मानचित्र की प्रति संलग्न की जानी है। | Yes (4 points) No (0 points) | 4 | |
| सीमांकित मानचित्र के अनुसार सीमांकित पिलरों का निर्माण | विवरण फोटोग्राफ सहित उपलब्ध कराया जाना है। | Yes (3 points) No (0 points) | 3 | |

| प्राप्त अंकों का सारांश | लागू अधिकतम अंक | प्राप्त अंक |
|---|---|---|
| | | |

## समग्र प्रदर्शन और स्टार रेटिंग

| | सभी मॉड्यूल में लागू अधिकतम अंकों का योग **(a)** | सभी मॉड्यूल में प्राप्त अंकों का योग **(b)** | प्रतिशत **(b/a) × 100** |
|---|---|---|---|
| मॉड्यूल 1 | 25 | | |
| मॉड्यूल 2 | 25 | | |
| मॉड्यूल 3 | 20 | | |
| मॉड्यूल 4 | 30 | | |
| योग | 100 | | |
| प्राप्त प्रतिशत | | | |
| स्टार रेटिंग | | | |

स्टार रेटिंग हेतु मापदंड

| प्राप्त प्रतिशत | मापदंड |
|---|---|
| =>80 to 100% | 5 Star |
| =>70 to <80% | 4 Star |
| =>60 to <70% | 3 Star |
| =>50 to <60% | 2 Star |
| =>25 to <50% | 1 Star |
| < 25 % | No rating |

**प्रमाण पत्र**

मैं ............................................................... पुत्र/पुत्री........................................................... पदनाम.................................. पट्टाधारक/पट्टाधारक की ओर से इस दस्तावेज़ को भरने और जमा करने के लिए अधिकृत हूँ। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और अभिलेखों पर आधारित है।

दिनांक

स्थान

नाम

एजेंट/प्रबंधक/पट्टाधारक